

प्रेषक,

सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)।

सेवा में,

समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तराखण्ड।

पत्रांक:-

उ0वि0शि0प0/सि0 सेल/सुधार परीक्षा/ 40-151 /2025-26 दिनांक 01 मई, 2025

विषय:-

हाईस्कूल (कक्षा 10) एवं इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) परिषदीय परीक्षा वर्ष 2025 हेतु परीक्षाफल सुधार परीक्षा (प्रथम) वर्ष 2025 एवं परीक्षाफल सुधार परीक्षा (तृतीय) वर्ष 2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या: 311/XXIV-4-2023-01(01) 2016 TC दिनांक 26 मई, 2023 के द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् (परिष्कार) विनियम 2023" में वर्णित प्राविधानों के क्रम में इस परिषद् द्वारा हाईस्कूल (कक्षा 10) एवं इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) परिषदीय परीक्षा वर्ष 2025 में परीक्षाफल सुधार परीक्षा (प्रथम) वर्ष 2025 एवं परीक्षाफल सुधार परीक्षा (तृतीय) वर्ष 2024 की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु परीक्षार्थी द्वारा शुल्क एवं आवेदन-पत्र को विद्यालय में जमा करने तथा विद्यालयों के माध्यम से ऑन-लाइन आवेदन प्रक्रिया पूरित किये जाने हेतु निम्नवत तिथियां निर्धारित की गई हैं-

1. परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षाफल सुधार परीक्षा का शुल्क एवं आवेदन विद्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि - 17 मई, 2025 (11:00 AM तक)
2. विद्यालय द्वारा परीक्षाफल सुधार परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि - 21 मई, 2025 (11:59 PM तक)

इस हेतु दिनांक 02 मई, 2025 से दिनांक 21 मई, 2025 की मध्य रात्रि तक पोर्टल खुला रहेगा। परीक्षाफल सुधार परीक्षा से सम्बन्धित विस्तृत निर्देश संलग्न कर इस अनुरोध से आपको प्रेषित किये जा रहे हैं कि आप अपने जनपद में इनका प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करेंगे ताकि अधिकाधिक छात्र/छात्राएं इसका लाभ लेकर अपने परीक्षाफल के सुधार हेतु आवेदन कर सकें। इस सम्बन्ध में अपने स्तर से विद्यालयों को निर्देशित करने का भी कष्ट करेंगे।

संलग्नक: उक्तवत् विस्तृत निर्देश।

भवदीय

(विनोद प्रसाद सिमल्टी)

सचिव,

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्,
रामनगर (नैनीताल)।

पू0सं0: उ0वि0शि0प0/सि0सेल/सुधार परीक्षा/40-151 /2025-26 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून/सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्।
- 3- अपर निदेशक, (मा0शि0), गढ़वाल मण्डल पौड़ी एवं कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- 4- समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड (द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी)।
- 5- समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक शासकीय/अशासकीय/मान्यता प्राप्त (द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी)।

सचिव,

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्,
रामनगर (नैनीताल)।